(८) महका भारत दि० 10-06-2011

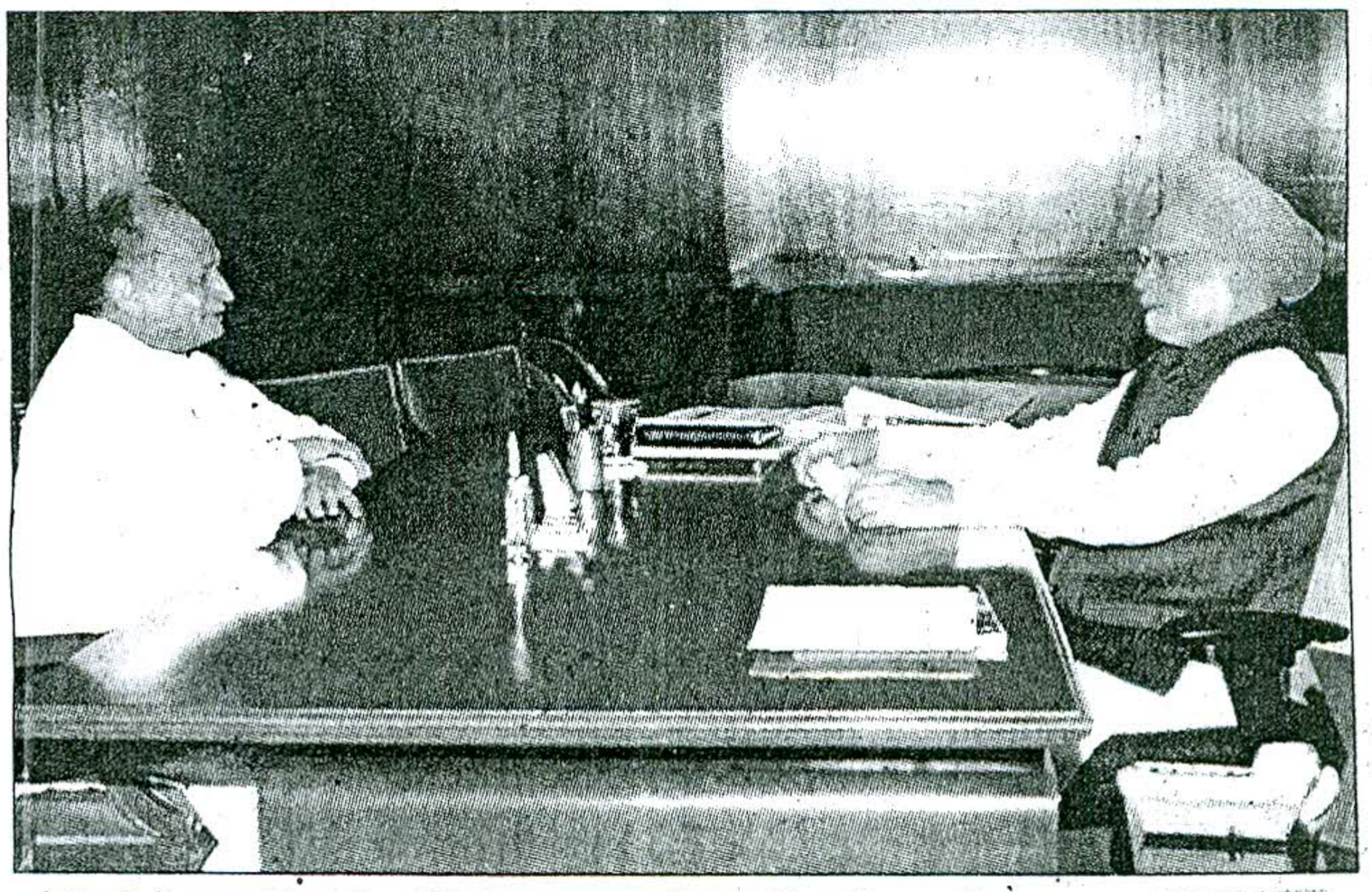

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।

महानरेगा में बीपीएल ग्रामीण आवास को शामिल करें

गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों की सूची में बीपीएल परिवारों के लिए ग्रामीण आवास को भी सम्मिलित करवाया जाए। उन्होने बताया कि राजस्थान में इंदिरा आवास योजना के अर्न्तगत प्रत्येक वर्ष मात्र 65,000 बीपीएल परिवारों को ही लाभान्वित किया जा रहा है। इस गति से 2001 की जनगणना अनुसार सभी योग्य बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने में 20 वर्षो से अधिक समय लग जाएगा'।

उन्होंने कहा कि इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने का दायरा बढाने की महती आवश्यकता है और यह कार्य मात्र महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनूसूची 1 के आइटम क्रमांक एक बी की श्रेणी चतुर्थ के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों के लिए ग्रामीण आवासों को अनुमत गतिविधि बनाये जाने से ही हो पाएगा। उन्होने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा के श्रम व सामग्री अनुपात के मापदण्ड 60:40 के विपरीत यद्यपि ग्रामीण आवास के लिए श्रम सामग्री अनुपात लगभग 20:80 है। गहलोत ने सुझाव दिया कि महात्मा गांधी नरेगा के 60:40 अनुपात को पंचायत स्तर पर संधारित किये जाने के दृष्टिगत इस गतिविधि को महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना संभव हो सकता है बशर्ते पंचायत स्तर पर सभी कार्यो के लिए 60:40 का अनुपात संधारित किया जा सके। उन्होने कहा कि किसी भी स्थिति में, किन्हीं भी कारणों से यदि सामग्री की राशि महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत देय अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है तो राज्य सरकार सामग्री मद के अन्तर्गत बढी हुई राशि को अपने स्वयं के संसाधनों से वहन करेगी। गहलोत ने प्रधानमंत्री को बताया कि वर्ष 2002-03 के भीषण सूखे व अकाल के समय उनकी सरकार राहत कार्यों के साथ व्यक्तिगत ▸▸शेष पृष्ठ 10 पर

महानरेगा में बीपीएल

लाभार्थियों के कार्यों को सम्बद्ध करने का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुकी है जिसके परिणाम अत्यंत अच्छे रहे थे एवं लाभार्थियों को भी व्यापक संतोष प्राप्त हुआ था अतः बीपीएल परिवारों के लिए ग्रामीण आवास योजना को महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।